


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 5 जनवरी, 2018

संख्या-1/सी0-1012/2017-सा0प्र0-337 /श्री अशोक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच:2006), अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 30.04.2018 के अपराहन के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण किये जाने हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16(2) के प्रावधानों के तहत दिनांक-30.04.2018 के अपराहन के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति उन्हें प्रदान की जाती है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
5-1-18  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/सी0-1012/2017-सा0प्र0-337 /पटना-15,दिनांक:5 जनवरी,2018

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा- आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना /मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/ सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना /भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1,6 एवं 12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
5-1-18  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।